न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 181/2022 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2022/267**
दायर दिनांक :– 02.09.2022 **निर्णय दिनांक :– 22.11.2024**

वादीगण

1. सूवादेवी पत्नि शिवराम
2. नरसीराम पुत्र शिवराम
3. गिरधारीराम पुत्र शिवराम
4. श्रवणराम पुत्र शिवराम
5. नखताराम पुत्र शिवराम
6. अमका देवी पुत्री शिवराम
   जाति ब्राहमण निवासी बड़ीसिड
   तहसील बाप जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. फूसाराम पुत्र लिछमणराम
2. भीखाराम पुत्र लिछमणराम
3. मेगराज पुत्र लिछमणराम
4. रेवतराम पुत्र लिछमणराम
5. जुगताराम पुत्र लिछमणराम
   जाति ब्राहमण नि. बड़ीसिड
   तहसील बाप जिला जोधपुर
6. श्रीमान तहसीलदार, बाप

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता वादीगण
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण की खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 62/6 रकबा 4.0469 हैक्टेयर (25–00 बीघा) सरहद मौजा बड़ीसिड पटवार क्षेत्र बड़ीसिड तहसील बाप में स्थित है। उक्त भूमि को आगे वादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। उक्त भूमि पूर्व में वादिनी सं. 1 के ससुर, वादीगण सं. 2 ता 6 के दादा व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 के पिता लिछमण पुत्र लाखा व अन्य खातेदारान के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी जिसमें वादिनी सं. 1 के ससुर, वादीगण सं. 2 ता 6 के दादा व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 के पिता लिछमण पुत्र लाखा का 1/3 हिस्सा बंट में आता था। उक्त भूमि के पूर्व खातेदार लिछमण पुत्र लाखा फौत हो चुके है जिनके वारिसान निम्न प्रकार से है :–

लिछमण पुत्र लाखा (फौत)

फूसाराम पुत्र	भीखाराम पुत्र	जुगताराम पुत्र	मेगराज पुत्र	रेवतराम पुत्र	शिवराम पुत्र फौत

सुवादेवी पत्नि	नरसीराम पुत्र	गिरधारीराम पुत्र	श्रवणराम पुत्र	नखताराम पुत्र	अमकादेवी पुत्री

उपरोक्त वशांवली अनुसार उक्त वादग्रस्त भूमि में वादीगण का 1/18 हिस्सा बनता है। इसी अनुसार ही वादीगण मौके पर काबिज है। इसलिये वादीगण ग्राम बड़ीसिड पटवार क्षेत्र बड़ीसिड तहसील बाप जिला जोधपुर के खेत खसरा नम्बर 62/6 रकबा 4.0469 हैक्टेयर में अपने संयुक्त रूप से 1/18 हिस्से की खातेदारी की घोषणा करवाने के अधिकारी है। वादिनी सं. 1 के ससुर, वादीगण सं. 2 ता 6 के दादा व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 के पिता लिछमण पुत्र लाखा जब फौत हुऐ तो प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 ने पटवारी हल्का से मिलावट कर मुतवफी लिछमण पुत्र लाखा के फौतेदगी

22/11/24
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

का नामान्तरकरण संख्या 1147 मौजा बड़ीसिड अपने नाम से ही भरवा कर वादीगण को शामिल किये वगैर ही सरासर गलत तरीके से स्वीकृत करवा लिया। जबकि वादीगण भी लिछमण पुत्र लाखा की जायन्दा वारिस है और उक्त भूमि पर वादीगण का अपने पैतृक हिस्से पर कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है। उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 का कभी अकेलों का कब्जा व काश्त नहीं रहा इसलिये वादीगण नामान्तरकरण संख्या 1147 मौजा बड़ीसिड को निरस्त करवा कर ग्राम बड़ीसिड पटवार क्षेत्र बड़ीसिड तहसील बाप जिला जोधपुर के खेत खसरा नम्बर 62/6 रकबा 4.0469 हैक्टेयर में अपने संयुक्त रूप से 1/18 हिस्से की खातेदारी की घोषणा करवाने के अधिकारी है। उक्त भूमि पर वादीगण का अपने पैतृक हिस्से पर कब्जा व काश्त चला आ रहा है उक्त वादग्रस्त भूमि पैतृिक सम्पति है जो राजस्व रेकार्ड से प्रमाणित है जिस पर वादीगण का अपने हिस्से की भूमि पर अपनी अलग रहवासीय ढाणियां, पानी के टांके, पशुओं के लिये बाड़े इत्यादि बना रखे है तथा प्रत्येक वर्ष काश्त कर प्राकृतिक पैदावार का उपयोग व उपभोग लेते आ रहे है। प्रतिवादी सं. 5 का नाम वर्तमान जमाबंदी में दर्ज होने से छूट गया है। इसलिये वादीगण उक्त पैतृक भूमि में विधि विरूद्ध तरीके से भरे गये नामान्तरकरण संख्या 1147 मौजा बड़ीसिड को निरस्त करवा कर ग्राम बड़ीसिड पटवार क्षेत्र बड़ीसिड तहसील बाप जिला जोधपुर के खेत खसरा नम्बर 62/6 रकबा 4.0469 हैक्टेयर में अपने संयुक्त रूप से 1/18 हिस्से की खातेदारी की घोषणा करवाने के अधिकारी है जिसका यह वाद पेश है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डॉक के सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 बावजूद तामिल समन हाजिर नही हुवे लिहाजा इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 6 तहसीलदार सरकारी पैरोकार ने जवाब पेश कर बताया कि उक्त वादग्रस्त भूमि ग्राम बडीसिड पटवार क्षेत्र बडीसिड तहसील बाप के खसरा नम्बर 62/6 रकबा 4.0469 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को सुनवाई का अवसर दिया जाकर वाद का निर्णय गुणावगुण पर किया जाता है तो कोई उजर एतराज नहीं है। वादी संख्या 3 ने अपने साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया इनके बयान पी.डब्लू-1, पड़ोसी खातेदार नारायणराम के बयान पी.डब्लू-2 कलमबद्ध किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। अधिवक्ता वादीगण और साक्ष्य नहीं करवाना चाहते है इसलिए वादी साक्ष्य बंद की गई। प्रतिवादी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही किये जाने से तनकियात कायम नहीं की गई। पत्रावली बहस में रखी गई।

अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में वाद पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुऐ कहा कि वादीगण की खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 62/6 रकबा 4.0469 हैक्टेयर (25-00 बीघा) सरहद मौजा बड़ीसिड पटवार क्षेत्र बड़ीसिड तहसील बाप में स्थित है। उक्त भूमि को आगे वादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। उक्त भूमि पूर्व में वादिनी सं. 1 के ससुर, वादीगण सं. 2 ता 6 के दादा व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 के पिता लिछमण पुत्र लाखा व अन्य खातेदारान के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी जिसमें वादिनी सं. 1 के ससुर, वादीगण सं. 2 ता 6 के दादा व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 के पिता लिछमण पुत्र लाखा का 1/3 हिस्सा बंट में आता था। उक्त भूमि के पूर्व खातेदार लिछमण पुत्र लाखा फौत हो चुके है जिनके वारिसान वाद पत्र अनुसार है और

कलेक्टर
बाप (फलोदी)

उपरोक्त वशांवली अनुसार उक्त वादग्रस्त भूमि में वादीगण का 1/18 हिस्सा बनता है। इसी अनुसार ही वादीगण मौके पर काबिज है। इसलिये वादीगण ग्राम बड़ीसिड पटवार क्षेत्र बड़ीसिड तहसील बाप जिला जोधपुर के खेत खसरा नम्बर 62/6 रकबा 4.0469 हैक्टेयर में अपने संयुक्त रूप से 1/18 हिस्से की खातेदारी की घोषणा करवाने के अधिकारी है। वादिनी सं. 1 के ससुर, वादीगण सं. 2 ता 6 के दादा व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 के पिता लिछमण पुत्र लाखा जब फौत हुऐ तो प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 ने पटवारी हल्का से मिलावट कर मुतवफी लिछमण पुत्र लाखा के फौतेदगी का नामान्तरकरण संख्या 1147 मौजा बड़ीसिड अपने नाम से ही भरवा कर वादीगण को शामिल किये वगैर ही सरासर गलत तरीके से स्वीकृत करवा लिया। जबकि वादीगण भी लिछमण पुत्र लाखा की जायन्दा वारिस है और उक्त भूमि पर वादीगण का अपने पैतृक हिस्से पर कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है। उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 का कभी अकेलों का कब्जा व काश्त नहीं रहा इसलिये वादीगण नामान्तरकरण संख्या 1147 मौजा बड़ीसिड को निरस्त करवा कर ग्राम बड़ीसिड पटवार क्षेत्र बड़ीसिड तहसील बाप जिला जोधपुर के खेत खसरा नम्बर 62/6 रकबा 4.0469 हैक्टेयर में अपने संयुक्त रूप से 1/18 हिस्से की खातेदारी की घोषणा करवाने के अधिकारी है। उक्त भूमि पर वादीगण का अपने पैतृक हिस्से पर कब्जा व काश्त चला आ रहा है उक्त वादग्रस्त भूमि पैतृिक सम्पति है जो राजस्व रेकार्ड से प्रमाणित है जिस पर वादीगण का अपने हिस्से की भूमि पर अपनी अलग रहवासीय ढाणियां, पानी के टांके, पशुओं के लिये बाड़े इत्यादि बना रखे है तथा प्रत्येक वर्ष काश्त कर प्राकृतिक पैदावार का उपयोग व उपभोग लेते आ रहे है। प्रतिवादी सं. 5 का नाम वर्तमान जमाबंदी में दर्ज होने से छूट गया है। इसलिये वादीगण उक्त पैतृक भूमि में विधि विरूद्ध तरीके से भरे गये नामान्तरकरण संख्या 1147 मौजा बड़ीसिड को निरस्त करवा कर ग्राम बड़ीसिड पटवार क्षेत्र बड़ीसिड तहसील बाप जिला जोधपुर के खेत खसरा नम्बर 62/6 रकबा 4.0469 हैक्टेयर में अपने संयुक्त रूप से 1/18 हिस्से की खातेदारी की घोषणा करवाने के अधिकारी है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री फरमावे।

अधिवक्ता वादीगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी, नक्शा ट्रैस का अवलोकन किया गया। जमाबंदी ग्राम बड़ीसिड पटवार क्षेत्र बड़ीसिड तहसील बाप जिला फलोदी के खेत खसरा नम्बर 62/6 रकबा 4.0469 हैक्टेयर स्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि पूर्व में राजस्व अभिलेख में वादिनी सं. 1 के ससुर, वादीगण सं. 2 ता 6 के दादा व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 के पिता लिछमण पुत्र लाखा के नाम से 1/3 हिस्सा दर्ज थी। वादिनी सं. 1 के ससुर, वादीगण सं. 2 ता 6 के दादा व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 के पिता लिछमण पुत्र लाखा जब फौत हुए तो प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 ने मुतवफी लिछमण पुत्र लाखा का फौतेदगी का नामान्तरकरण सं. 1147 मौजा बड़ीसिड अपने नाम से ही भरवा कर वादीगण को शामिल किये वगैर ही स्वीकृत करवा लिया जबकि वादीगण भी लिछमण पुत्र लाखा के प्रथम श्रेणी के वारिसान है। शिवराम लिछमराम का पुत्र था, इस संबंध में वादीगण ने ग्राम बडीसिड के खाता संख्या 333 जमाबंदी सम्वत 2072–2075 की प्रति प्रस्तुत की जिसमें शिवराम पुत्र लिछमणराम दर्ज है। उक्त वादग्रस्त भूमि में वादीगण का संयुक्त रूप से 1/18 हिस्सा तथा

22.11.24
उपखण्ड कलक्टर
बाप (फलोदी)

प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 प्रत्येक का 1/18–1/18 हिस्सा अनुसार बंट में आती है। लेकिन वर्तमान जमाबंदी में वादीगण का नाम दर्ज नहीं है। इसलिये वादीगण को अपने हिस्से की घोषणा करवाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। वादीगण ने अपने वाद को दस्तावेज से साबित किया है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आलोक में वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है कि नामान्तरकरण संख्या 1147 मौजा बड़ीसिड को निरस्त किया जाकर ग्राम बड़ीसिड पटवार क्षेत्र बड़ीसिड तहसील बाप के खसरा नम्बर 62/6 रकबा 4.0469 हैक्टेयर भूमि में वादीगण को संयुक्त रूप से 1/18 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 को 1/18–1/18 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी माफिक डिगरी पर्चा अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.11.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप (फलोदी) (राज.)

22.11.24

(सुखाराम पिण्डेल, R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)